रजि.1231 / 2011

अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच राजस्थान

डॉ. अम्बेडकर भवन, 13–14 झालाणा सांस्थानिक क्षेत्र,जयपुर मोबाईल–9414027400, 9413380388
www.aarakshanmanch.com E-mail: aarakshanmanch@gmail.com

क्रमांक–2019 / दिनांक–

श्री.....
.....

विषय : **अनुसूचित जाति–जनजाति को पदोन्नति तथा सीधी भर्ती में आरक्षण सम्बन्धी समस्याओं के बारे में।**

महोदय,

16वीं विधानसभा के लिए माह नवम्बर में सम्पन्न हुए चुनावों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की ओर से विधायक चुने जाने पर एससी एसटी आरक्षण मंच की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई व कोटिस शुभकामनाये ।

जैसा की आपके परिज्ञान में है कि आरक्षण की व्यवस्था स्वतन्त्रता व इससे पूर्व से चली आ रही है आजादी को तीन चौथाई शताब्दी व्यतीत होने जा रही है **लेकिन अनुसूचित जाति व जन जाति की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है सभी राजनैतिक दल इस वर्ग को अपना वोट बैंक मानते रहें हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति आरक्षण मंच के गठन को 8 वर्ष पूर्ण हो चुकें है मंच द्वारा समय समय पर आरक्षण सम्बन्धी समस्याओं व इसकी पालना के सम्बन्ध में ध्यान दिलाया जाता रहा है लेकिन प्रभावशाली कार्यवाही नही होती है।**

अनुसूचित जाति–जनजाति शोषित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं इन्हें सामाजिक ढांचे में सामान्य वर्ग के लोगों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत इन वर्गों को शैक्षणिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता से पूर्व शासन में इन वर्गों की भागीदारी नगण्य थी। सामाजिक क्षेत्र में इनके साथ भेदभाव चरमसीमा पर था। आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से यह वर्ग निचले पायदान पर था। हजारों वर्षों से दबाये जाने व प्रताड़ित किये जाने से इन वर्गों की स्थिति अति दयनीय थी। अतः इन्हे अगड़े वर्गों के समकक्ष लाने के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण के उपरान्त भी राजकीय सेवाओं में उच्च स्तर पर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं था और न ही नीति निर्धारण के मामलों में इनकी कोई भागीदारी थी। इसी उद्देश्य से राजकीय सेवाओं में भर्ती के साथ–साथ पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।

स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी क्या इस वर्ग का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से उत्थान हुआ है, क्या वे समाज के अगड़े वर्गों के समकक्ष आज उक्त क्षेत्रों में समानता रखते हैं? यदि इस पर विचार किया जाता है, तो आज भी स्थिति बड़ी दयनीय है। समाज में आज भी इन वर्गों के साथ छूआछूत व भेदभाव किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी इनकी अधिकतम आबादी निम्न स्तर के कार्यों यथा मजदूरी व सामाजिक सेवाओं में लगी हुई है। राजनैतिक दृष्टि से इन वर्गों का नीति निर्धारण में कोई स्थान नहीं है। आज भी राजनीति अगड़े वर्गों के अधिपत्य में है।

आरक्षण की दृष्टि से राजकीय सेवाओं में इस वर्ग को मात्र 0.86 प्रतिशत जनसंख्या को ही लाभ हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिसके कारण इन वर्गों को आर्थिक दृष्टि से सम्बलता प्रदान की हो। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति के योगदान के अतिरिक्त विशेष फायदा नहीं हुआ है। सामान्य शिक्षा में कुछ हद तक विकास हुआ है लेकिन उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में इस वर्ग का स्थान आज भी नगण्य है। विधायिका तथा स्थानीय निकायों से यदि आरक्षण हटा दिया जाता है तो इन वर्गों के गिने–चुने

प्रतिनिधि ही आयेंगें। 72 वर्षों की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी विकास की गति अति न्यून है, फिर भी सामान्य वर्ग द्वारा आरक्षण को लेकर आन्दोलन किये जा रहे हैं। आरक्षण लागू हुआ उसी समय से इस वर्ग की यह मानसिकता रही है तथा यह प्रयास किये जाते रहे हैं कि आरक्षण को किस प्रकार समाप्त किया जाये। **देश की 15 प्रतिशत जनसंख्या जो कि सवर्ण अगड़े वर्गों की है, उनका देश के व्यवसाय तथा आर्थिक संसाधनों के 75 प्रतिशत भाग पर आधिपत्य है। शेष 75 प्रतिशत जनसंख्या 15 प्रतिशत व्यवसायों व आर्थिक संसाधनों पर जैसे–तैसे गुजर–बसर कर रही है।** आरक्षण विरोधी व्यवसाय व आर्थिक संसाधनों पर शत प्रतिशत कब्जा करना चाहते हैं तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को मात्र मजदूरी व इन वर्गों की सेवा वाले व्यवसायों तक सीमित रखना चाहते हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में 16 व 12 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण दिया हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्षों तक तो यह वर्ग शिक्षा का स्तर बढ़ाने में लगा रहा क्योंकि प्रारम्भिक दौर में इन वर्गों का शिक्षा का स्तर नगण्य था। ऐसी स्थिति में आजादी के 30 वर्षों तक तो आरक्षण का लाभ न के बराबर रहा है। इसके उपरान्त कुछ लोग राजकीय सेवाओं में आने लगे हैं जो इनको खटक रहे हैं। राजकीय सेवाओं में जिस सीमा तक आरक्षण दिया गया था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज भी सभी विभागों में भारी संख्या में बैकलॉग चल रहा है लेकिन योग्यता के नाम से इन वर्गों को कोई फायदा नहीं दिया जा रहा है। समस्त कार्यालयों तथा अन्य प्रशासनिक स्तर पर सामान्य वर्ग का वर्चस्व है। अतः भर्ती तथा पदोन्नति सभी स्तर पर इन वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है। छोटे–छोटे मामलों को भी न्यायालय में ले जाकर उलझाया जा रहा है। न्यायालयों का आरक्षण के प्रति जो व्यवहार रहा है, वह सर्वविदित है।

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) तथा 85 वें संविधान संशोधन द्वारा इन वर्गों को प्रशासन में उचित प्रतिनिधित्त्व देने के लिये पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था परिणामिक लाभ सहित की गई थी तत्कालिक सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं का सर्वेक्षण कराया जाकर अनुसूचित जाति व जनजाति को **पदौन्नति में 16 व 12 आरक्षण दिया गया था लेकिन व्यवहार में सही पालना नहीं किये जाने के कारण इन वर्गों का सरकारी सेवाओं में कुल प्रतिनिधित्त्व 28 प्रतिशत तक ही सीमित किया जा रहा है तथा सामान्य वर्ग को 72 प्रतिशत तक आरक्षण निर्बाध गति से दिया जा रहा है।** प्रशासनिक स्तर पर इन वर्गों के साथ भेदभाव ही नहीं हो रहा है वरन् आपसी रंजिश व कटुता का व्यवहार हो गया है जिसमें आरक्षण विरोधी लोगों की महत्ती भूमिका रही है।

समस्त एससी एसटी विधायक साहेबान क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि ही नही हैं वरण सम्पूर्ण एससी एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, डॉ. भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीति में आरक्षण देने का आशय भी यही था अतः हम समस्त विधायक साहेबान को आरक्षण की पालना के सम्बन्ध में वर्तमान में कमियां व कठिनाइयाँ आर रही हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहें हैं।

हमारा सरकार से अनुरोध है कि वर्तमान में आरक्षण को समाप्त करने के लिये जो विभिन्न हथकण्डे अपनाये जा रहे है उसे तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों के साथ भर्ती व पदोन्नति में हो रहे भेदभाव को रोका जावे।

अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रदत्त आरक्षण की पालना तथा आरक्षण के सम्बन्ध में कमियाँ व कठिनाइयाँ निम्न प्रकार हैं :–

1. **निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया जाये।**
2. **संसद में पदोन्नति में आरक्षण देने सम्बन्धी 117 वां विधेयक लोकसभा में लम्बित है उसे पारित कराया जाये।**
3. **आरक्षण कानून बनाकर संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की कार्यवाही की जावे व आरक्षण में को न्यायिक हस्तक्षेप रोका जावे।**
4. **केन्द्रीय सेवाओं की तरह अनुसूचित जाति–जनजाति की 2011 की जनसंख्या के अनुपात में राजकीय सेवाओं में भी क्रमशः 17%+13%=30% आरक्षण का प्रावधान किया जाये।**
5. **सभी विभागों में सीधी भर्ती में चल रहे बैकलॉग के पदों को समय सीमा में विशेष भर्ती अभियान के द्वारा भरा जाये तथा तीन वर्ष का राईडर समाप्त किया जाये।**
6. संविधान की धारा 16(4) तथा 85वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग को पदोन्नति में पर्याप्त प्रतिनिधित्त्व देने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा

अनुसूचित जाति–जनजाति को सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.9.2011 द्वारा 16 व 12 प्रतिशत का पदोन्नति में लाभ दिया गया था लेकिन इसका गलत अर्थ लगाया जाकर पदोन्नति के फीडर जोन में 28 प्रतिशत कोटा पूर्ण होने के उपरान्त जो एससी–एसटी कर्मचारी वरिष्ठता सूची में सामान्य कोटा में चयनित हुए है ओर वरिष्ठ स्थान पर है, उन्हे भी 28 प्रतिशत में शामिल कर पदोन्नति से रोका जा रहा है।

7. **राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2018 द्वारा 11.9.11 की अधिसूचना के सम्बन्ध में जारी स्पष्टीकरण आदेश गत सरकार द्वारा कियान्वयन को रोकने की स्वीकृति दी गई थी वर्तमान सरकार के आने पर इसका कियान्वयन पर रोक का आश्वासन दिया गया था किन्तु अभी तक इसे वापस नही लिया है अतः इसे अब तत्काल वापस लिया जाऐ।**

8. दिनांक 11.9.11 की अधिसूचना को सही अर्थ में लागू करने के लिए आवश्यक है कि पदोन्नति हेतु विचारणा जोन (Zone of Consideration) के सिद्धान्त को समाप्त किया जाए जिससे प्रत्येक संवर्ग में आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

9. विभागीय पदौन्नति समिति में अजा–जजा का प्रतिनिधि होना अनिवार्य रूप से होना चाहिये ।

10. सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जाये। आरपीएससी/कर्मचारी चयन बोर्ड तथा अन्य भर्ती की वरिष्ठता को रोस्टर बिन्दु के अनुसार वरिष्ठता क्रम में रखा जाये न कि एससी–एसटी वर्ग के अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में सबसे नीचे रखा जाये।

11. **विश्वविद्यालय स्तर पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण की पालना नहीं की जाती है फलस्वरूप इस स्तर पर एससी–एसटी का प्रतिनिधित्व नगण्य है। विश्वविधालयों के प्राध्यापकों व अन्य पदों पर आरक्षण की पूर्ण पालना की जावें एससी–एसटी के कोटे को पूर्ण किया जाये।**

12. **केन्द्रीय/राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के कुलपति/उप कुलपति की संख्या नगण्य है अतः कोटे के अनुसार अनुजाति जनजाति की नियुक्ति किया जाऐ।**

13. उच्च न्यायालय में एससी–एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य है, वर्तमान में उच्च स्तर पर न्यायिक चयन प्रक्रिया दूषित है। हाइकोर्ट स्तर पर 98% तथाकथित सवर्ण जातियों के न्यायाधीश कार्यरत है। अतः संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय न्यायिक सेवा (आई.जे.एस.) का गठन किया जाये।

14. **राज्य में राजस्थान न्यायिक सेवाओं में पदौन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है पूर्व की भांति पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जावे।**

15. उच्च न्यायिक सेवाओं में वर्तमान केलोजियम व्यवस्था को समाप्त कर संविधान के अनुच्छेद 124 व 127 की व्यवस्था को बहाल किया जावे।

16. आरजेएस की भर्ती आरपीएससी के माध्यम से ही की जावे।

17. उच्च न्यायालय में राज्य के अभिभाषक वर्ग से नियुक्त न्यायाधीशों को अन्य राज्यों में लगाया जावे।

18. राजस्थान उच्च न्यायालय में राजकीय अधिवक्ताओं में S.C./S.T. वर्ग की नियुक्ति की जावे।

19. **शिक्षा का व्यवसायीकरण व निजीकरण बन्द किया जावे। समान शिक्षा/पाठयक्रम लागू किया जाऐ।**

20. **राज्य में S.C./S.T. के विधार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जावें। मंहगाई के अनुसार छात्रवृत्ति बढ़ाई जावे।**

21. अधीनस्थ अदालतों में अनुसूचित जाति ,जनजाति कर्मचारियों की संख्या नहीं के बराबर हैं इनकी भर्ती R.P.S.C./ Raj. Staff Selection Board के माध्यम से की जावे।

22. पोस्ट बेस्ड रोस्टर प्रणाली में S.C./S.T. वर्ग के लिए रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण में राउन्ड ऑफ सिस्टम लागू करके किया जावे, जिससे चौथा बिन्दु S.C. तथा पांचवा बिन्दु S.T. के लिए लागू किया जावे। जैसा कि भारत सरकार रेल मंत्रालय में लागू किया जाता है।

23. संविदा भर्ती में S.C./S.T. को आरक्षण नहीं दिया जाता है। सरकार पूर्व में इनको नियमित करती रही है, तथा भविष्य में भी नियमित करने जा रही है। संविदा कर्मचारियों की संख्या के अनुसार S.C./S.T. को विशेष भर्ती अभियान द्वारा नियुक्तियां दी जावे। भविष्य में संविदा भर्ती प्रक्रिया को रोका जावे या संविदा भर्ती में भी आरक्षण की पूर्ण पालना की जावें।

24. **आरक्षण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के लिए सजा व C.C.A. Rules के तहत कार्यवाही का प्रावधान किया जावे।**

25. देश के आर्थिक संसाधनों के 85 प्रतिशत भाग पर 15 प्रतिशत तथाकथित सवर्ण लोगों का कब्जा है जबकि आर्थिक संसाधनों में सभी वर्गों की आनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाऐं।

26. निजीकरण, ठेकेदारी व सरकारी उद्योगों को बेचकर सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड़यंत्र समाप्त किया जाये।

27. देश में एससी, एसटी वर्ग के उत्पीड़न में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। अतः एससी–एसटी वर्ग के उत्पीड़न व अत्याचार की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाये जावें। कानून में दलित अत्याचार के मामले बमुश्किल दर्ज किये जाते हैं। अधिकतर मामले धारा 156 (3) के तहत दर्ज होते हैं जिनमें जानबूझकर एफ.आर. लगा दी जाती है।

28. **दलित व आदिवासियों की भूमि पर बेनामी व नाजायज कब्जे हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में कारगर अभियान द्वारा प्रभावशाली कार्यवाही की जाये।**

29. **S.C./S.T. के साथ हो रहे अत्याचारों व उत्पीड़न को रोका जावे।**

30. अनुसूचित जाति–जनजाति के युवा वर्ग में बेराजगारी की समस्या अति विकराल है क्योंकि इस वर्ग के पास में मजदूरी तथा कुछ राजकीय सेवा के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है। व्यापार, उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में सामाजिक भेदभाव व जातिवाद के कारण इनकी पहुँच नहीं है। ऐसी स्थिति में इस वर्ग के भविष्य के रोष को शमन् करने के लिये रोजगार की महत्ती आवश्यकता है। अतः शिक्षित, अर्द्धशिक्षित तथा अशिक्षित बेराजगार लोगों के लिये पूर्णकालिक रोजगार की व्यवस्था की जाये।

31. उद्योग, व्यापार, वाणिज्यिक, यातायात तथा अन्य व्यवसायों में इस वर्ग की भागीदारी नगण्य है। अतः इन व्यवसायों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष कार्यक्रम व योजनायें बनाई जायें ताकि इस वर्ग का समुचित विकास हो सके तथा युवाओं को रोजगार मिल सके।

32. राज्य की योजनाओं में अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग की आर्थिक स्थिति को देखते हुये विशेष प्रावधान किये जाये तथा उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाया जाये।

33. राज्य में अनुसूचित जाति–जनजाति में सामान्य शिक्षा का विकास सन्तोषप्रद है लेकिन वर्तमान समय को देखते हुये उच्च स्तरीय व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का इन वर्गों में अभाव है क्योंकि इन वर्गों में गरीबी अधिक है। ऐसी स्थिति में महँगी उच्च स्तरीय, गुणवत्तापूर्ण व तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कारण अनुसूचित जाति–जनजाति वर्ग के युवा उच्च वर्ग के युवाओं से प्रतिस्पर्धा में पीछे रहे जाते हैं। अतः इस वर्ग के युवाओं के लिये उच्च स्तरीय, गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी शिक्षा के लिये कारगर उपाय व प्रावधान किये जायें।

34. वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल व्हाईट कॉलर व्यवसायों के लिये है। अतः अधिक रोजगार के लिये इस वर्ग के युवाओं के लिये तकनीकी रोजगारोन्मुख शिक्षा का प्रावधान किया जाये।

35. उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निजीकरण से महँगी होने के कारण उच्च अधिकारी भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाने में असमर्थ रहता है। अतः छात्रवृत्ति के लिये आय सीमा में संशोधन किया जाये।

महोदय, आरक्षण सामाजिक उत्पीडन, रोजगार तथा भूमि विवादों के कतिपय बिन्दुओं पर आप सभी साहेबान का ध्यान आकर्षित किया गया है, अतः हमें आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार पर विधानसभा में तथा विधानसभा के बाहर दबाव बनाकर उत्थान व विकास में अपना अमूल्य योगदान देने का श्रम करेंगें

भवदीय

ई. आशाराम मीणा
महासचिव

जे.पी. विमल IAS Retd.
अध्यक्ष